न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज.)

प्रकरण संख्या– 01/2023

बउनवान

अधिशाषी अभियन्ता, दांयी मुख्य नहर खण्ड II, सी.ए.डी. अन्ता जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (N.T.P.C.) अन्ता (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :– 1. श्री चन्द्र प्रकाश मीणा एडवोकेट (प्रार्थी)
2. श्री अनुराग अग्रवाल एडवोकेट (अप्रार्थी)
3. श्री कृष्णकांत शर्मा एडवोकेट (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 25.11.2024

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी एन.टी.पी.सी. अन्ता को वास्तविक क्लोजर अवधि में 12.5 क्यूसेक के अनुसार वाटर चार्जेज के बिल बनाकर भुगतान हेतु भिजवाये गये, लेकिन एन. टी.पी.सी. अन्ता द्वारा MOM वर्ष 1988 के अनुसार ही वाटर चार्जेज का भुगतान किया जा रहा है। एन.टी.पी.सी. अन्ता से अवधि 4/2010 से दिनाक 17.10.2021 तक राशि 146282400/– वसूल की जानी है (गणना प्रपत्र सलग्न)। उक्त राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा एन.टी.पी.सी. अन्ता को अनेक बार पत्र लिखे गये लेकिन प्रत्युत्तर में एन.टी पी.सी. अन्ता द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा MOM दिनाक 27.12.1988 के अनुसार ही दिनांक 17.10.2021 तक बिलों की राशि का भुगतान लगातार नियमित रूप से किया जा रहा है। विभाग के निरन्तर प्रयासों के उपरान्त भी एनटीपीसी अन्ता द्वारा वाटर चार्जेज की कम भुगतान की गई राशि 14.63 करोड का भुगतान नहीं किया गया है। अत बकाया राशि की वसूली हेतु आदेश पारित फरमावें।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी एनटीपीसी. लि. अन्ता द्वारा नोटिस का जवाब पेश नहीं कर याचिका इस आशय की पेश की कि माननीय न्यायालय से प्रेषित नोटिस दिनाक 23.10.2023 को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा रूपये 14,62,82,400/– के जमा कराने हेतु प्रार्थी कम्पनी को निर्देश दिये गये है। प्रार्थी कम्पनी उक्त राशि के दायित्व को पूरी तरह से नकारती है।

प्रार्थी कम्पनी राज्य सरकार के आश्वासन व केन्द्र सरकार के निर्देश पर कम्पनी द्वारा अन्ता, जिला बारां में अपना पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया व तत्पश्चात नहर से पानी लिये जाने हेतु सी.ए.डी. अन्ता के साथ एक करार किया गया जो कि सीएडी अन्ता व प्रार्थी कम्पनी के अधिकारियों के मध्य हुई मीटिंग दिनाक 27.12.1988 की मिनिट्स ऑफ मीटिंग में रिकार्ड किये गये। इसके पश्चात् प्रार्थी कम्पनी [illegible] 11.02.1992 को सी.एडी अन्ता से पुनः मीटिंग हुई व उक्त मीटिंग में अन्य शर्तें तय [illegible] सरकार अपने वादे के अनुसार प्रार्थी कम्पनी को नहर से पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करवा[illegible] जिसके लिए उपखण्ड अधिकारी अन्ता, जिला बारा से तथ्यात्मक रिपोर्ट [illegible] द्वारा दिनांक [illegible].2021 को मांगी गई जिस पर उपखण्ड [illegible] तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमा[illegible] कार्यालय में प्रस्तुत की जिसमे उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया [illegible] सी.ए.डी. विभाग द्वारा कभी भी नहर का सचालन वर्ष में 11 माह तक नहीं किया गया है अपितु वर्ष 1998 से आज तक के अनुसार प्रति वर्ष औसत नहर बन्द अवधि निम्न प्रकार रही है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

5

(क) 1988 से 1998 लगभग 5 माह प्रति वर्ष
(ख) 1998 से 2003 लगभग 8 माह प्रति वर्ष
(ग) 2003 से आज तक लगभग 6 माह प्रति वर्ष

राज्य सरकार प्रार्थी कम्पनी के मध्य एक नया एग्रीमेन्ट दिनांक 18.10.2021 को पानी सप्लाई हेतु किया गया जिसने प्रार्थी कम्पनी को मीटर से पानी दिया जाता है व मीटर रीडिंग के आधार पर बिल रेज किया जाता है जिसका पूर्ण भुगतान प्रार्थी कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। उक्त एग्रीमेन्ट दिनांक 18.10.2021 से आज तक प्रार्थी कम्पनी द्वारा नहर से प्रतिमाह जितना पानी लिया गया उसका चार्ट संलग्न है। जिसको देखने मात्र से स्पष्ट है कि सी.ए.डी. अन्ता द्वारा कितना पानी प्रार्थी कम्पनी को सप्लाई किया जा रहा है। एनटीपीसी अन्ता को दांयी मुख्य नहर की आरडी 270600 पर निर्मित इनटेक चेनल से पानी उपलब्ध कराया जाता है जो पानी विद्युत गृह के संयंत्रों को ठन्डा करता हुआ ओपन साईकिल से आउटफाल चेनल से होता हुआ वापस मुख्य नहर की आर डी 272896 पर मिल जाता है। नहर संचालन के दौरान इस विद्युत गृह द्वारा 2.50 क्यूसेक पानी का उपयोग किया जाता है। नहरबन्दी के दौरान नहर क्लोजर से पूर्व भरे गये जलाशय से विद्युत गृह को पानी क्लोज साईकिल से उपयोग किया जाता है। जलाशय में भरे पानी को ही ठंडा कर वापस उसी पानी को संयंत्र ठण्डा करने में उपयोग किया जाता है। दिनाक 27.12.1988 को राजस्थान सरकार व एनटीपीसी के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि नहर बन्द की अवधि एक वर्ष में एक माह होगी। इसके अनुसार नहर संचालन दौरान 11 माह तक 2.50 क्यूसेक व एक माह में 12.50 क्यूसेक पानी को उपयोग में लिया जायेगा। उसी अनुसार एक वर्ष में 11 माह के 2.50 क्यूसेक दर से व एक माह का 12.50 क्यूसेक दर से पानी के बिल एनटीपीसी को प्रेषित किये गये जिनका भुगतान एनटीपीसी अन्ता द्वारा नियमित रूप से किया जाता रहा है। वर्षा कम होने व चम्बल के जलाशयों में कम पानी की आवक होने के कारण नहर संचालन अवधि घटती गई जिसकी वजह से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं हो रहा था इसलिए पुनः दिनाक 11.12.1992 को राजस्थान सरकार व एनटीपीसी के प्रतिनिधियों के मध्य बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि एनटीपीसी की मांग पर पानी दिया जावेगा तथा नहर से पानी की सप्लायी न होने पर किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं है। No charges during the non supply of water will be levied—अतः एक माह से अधिक की नहर बन्द अबधि का कोई भुगतान नहीं बनता है अर्थात जिस माह नहर बन्द रहेगी उसका भुगतान देने का एनटीपीसी का दायित्व नहीं होगा। इसी अनुरूप सिचाई विभाग द्वारा एनटीपीसी को बिल दिये जाते रहे है तथा उनका भुगतान निरन्तर एनटीपीसी द्वारा किया गया है। सीएडी विभाग द्वारा कोई कथित अकेक्षण टीम की रिपोर्ट पर नहर बन्द की अवधि का, जिसमें कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा किसी प्रकार का कोई पानी नहीं लिया गया फिर भी वसूली जारी कर दी है जो कि गलत है व निरस्तनीय है। राज्य सरकार के द्वारा चाही गई एस.डी.एम की तथ्यात्मक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्ष में छः से आठ माह तक नहर में पानी नहीं रहता था व बन्द रहती थी फिर भी उस अवधि के पानी की बसूली पूर्णतया गलत है व निरस्त किये जाने योग्य है। एनटीपीसी ने वर्ष 1989 से स्टेज (419 मेगावाट क्षमता की स्थापना की जिसका डिजाइन 11 माह के नहर संचालन एवं एक माह की नहर बन्द की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया डिजाइन के अनुसार एक माह तक प्लांट चलाने हेतु 10 लाख घन मीटर पानी की आवश्यकता के अनुसार पानी की स्टोरेज के लिए 10 लाख घन मीटर की क्षमता का जलाशय बनाया गया जिसमें अधिकतम 12.50 क्यूसेक [illegible] पानी हो [illegible]। इससे अधिक पानी रखने की क्षमता ही नहीं है। इस प्रकार विभाग द्वारा जो [illegible] गई है वो गलत है. व निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा [illegible] दिनांक [illegible] करते हुये प्रतिवर्ष 11 माह का 2.50 क्यूसेक की दर से व 11वें महीने के अतिरिक्त 12.50 क्यूसेक की दर से भुगतान किया जाता रहा है (12 वा महिना नहर बन्द अवधि) फिर भी विभाग द्वारा जो मांग की गई है वो गलत है व निरस्त किये जाने योग्य है। एम.ओ.ए. दिनांक 11.12.1992 को देखने मात्र से भी स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य यह स्पष्ट संविदा थी कि नहर से पानी की सप्लाई ना होने पर किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा। "No charges during the non supply of water will be levied-" फिर भी विभाग द्वारा नहरबन्दी के दौरान जबकि कोई पानी की सप्लाई नहीं थी, की भी वसूली जारी कर दी जो कि गलत है व निरस्तनीय है। ऐग्रीमेन्ट दिनाक 18.10.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

के पश्चात् से मीटर रीडिंग के आधार पर पानी का भुगतान किया जा रहा है जिसमे चार्ट को देखने से स्पष्ट है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा पूर्व में भी इससे अधिक पानी का उपयोग नहीं किया गया था फिर भी विभाग द्वारा बिना पानी सप्लाई किये गये पानी की वसूली की मांग की है जो पूर्णत गलत है व निरस्त किये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनाक 17.10.2023 जो कि रूपये 14,62,82,400/– के लिये प्रार्थी कम्पनी को जारी किया गया है. पूर्ण रूप से निरस्त फरमाया जाये।

अप्रार्थी अभिभाषक ने याचिका को ही जवाब नोटिस के रूप में पढे जाने का कथन करने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि माननीय न्यायालय से दिनांक 17.10.2023 का एक नोटिस जिसके द्वारा रूपये 14,62,82,400/– मय ब्याज राशि के जमा कराने हेतु प्रार्थी कम्पनी को निर्देश दिये गये है। प्रार्थी कम्पनी उक्त राशि के दायित्व को पूरी तरह से नकारती (डिनाईन) है।

राज्य सरकार के आश्वासन व केन्द्र सरकार के निर्देश पर कम्पनी द्वारा अन्ता, जिला बारां में अपना पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया व तत्पश्चात नहर से पानी लिये जाने हेतु सी.ए.डी अन्ता के साथ एक करार किया गया जो कि सी.ए.डी. अन्ता व प्रार्थी कम्पनी के अधिकारियों के मध्य हुई मीटिंग दिनांक 27.12.1988 की मिनिट्स ऑफ मीटिंग में रिकार्ड किये गये। इसके पश्चात प्रार्थी कम्पनी की दिनांक 11.02.1992 को सीएडी अन्ता से पुनः मीटिंग हुई व उक्त मीटिंग में अन्य शर्ते तय की गई। राज्य सरकार अपने वादे के अनुसार प्रार्थी कम्पनी को नहर से पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करवा पाई जिसके लिए उपखण्ड अधिकारी अन्ता, जिला बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट माननीय न्यायालय के कार्यालय द्वारा दिनांक 01.03.2021 को मांगी गई जिस पर उपखण्ड अधिकारी अन्ता द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसमें उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा स्पष्ट रूप से बताय गय कि सी.ए.डी. विभाग द्वारा कभी भी नहर का संचालन वर्ष में 11 माह तक नहीं किया गया है अपितु वर्ष 1988 से आज तक के अनुत्तार प्रति वर्ष औसत नहर बन्द अवधि निम्न प्रकार रही है

(अ) 1988 से 1998 लगभग 5 माह प्रति वर्ष

(ब) 1998 से 2003 लगभग 8 माह प्रति वर्ष

(स) 2003 से आज तक लगभग 6 माह प्रति वर्ष

उसके पश्चात् राज्य सरकार व प्रार्थी कम्पनी के मध्य एक नया एग्रीमेन्ट दिनांक 18.10.2021 को पानी सप्लाई हेतु किया गया जिसमें प्रार्थी कम्पनी को मीटर से पानी दिया जाता है व मीटर रीडिंग के आधार पर बिल रेज किया जाता है जिसका पूर्ण भुगतान प्रार्थी कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। उक्त एग्रीमेन्ट के अनुसार प्रार्थी कम्पनी द्वारा जो पानी लिया जा रहा है उसको औसत को देखने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा पूर्णतः गलत डिमान्ड की गई है। एनटीपीसी अन्ता को दांयी मुख्य नहर की आरडी 270600 पर निर्मित इनटेक चेनल से पानी उपलब्ध कराया जाता है जो पानी विद्युत गृह के संयंत्रों को ठण्डा करता हुआ ओपन साईकिल से आउटफाल चेनल से होता हुआ वापस मुख्य नहर की आर डी 272896 पर मिल जाता है। नहर संचालन के दौरान इस विद्युत गृह द्वारा 2.50 क्यूसेक पानी का उपयोग किया जाता है। नहरबन्दी के दौरान नहर क्लोजर से पूर्व भरे गये जलाशय से विद्युत गृह को पानी क्लोज साईकिल से उपयोग किया जाता है। जलाशय में भरे पानी को [illegible] को संयंत्र ठण्डा करने में उपयोग किया जाता है। दिनांक 27.12.1988 को राज[illegible]र व एनटीपीसी के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई जिसमें यह त[illegible]र्ष में एक माह होगी। इसके अनुसार नहर संचालन [illegible] 11 माह तक [illegible] क्यूसेक व बारहवें माह में 12.50 क्यूसेक पानी को उपयोग में लिया ज[illegible] 11 माह के 2.50 क्यूसेक दर से व एक माह नहर क्लोजर अवधि का 12.50 क्यूसेक [illegible] पानी के बिल एनटीपीसी को प्रेषित किये गये जिनका भुगतान एनटीपीसी अन्ता द्वारा नियमित रूप से किया जाता रहा है। वर्षा कम होने व चम्बल के जलाशयों में कम पानी की आवक होने के कारण नहर संचालन अवधि घटती गई जिसकी वजह से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं हो रहा था इसलिए पुनः दिनांक 11.12.1992 को राजस्थान सरकार व एनटीपीसी के प्रतिनिधियों के मध्य बैठक हुई जिसमें यह तय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर

किया गया कि एनटीपीसी की मांग पर पानी दिया जावेगा तथा नहर से पानी की सप्लायी न होने पर किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं है। किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं है। No charges during the non supply of water will be levied अत. एक माह से अधिक की नहर बन्द अवधि का कोई भुगतान नहीं बनता है अर्थात जिस माह नहर बन्द रहेगी उसका भुगतान देने का एनटीपीसी का दायित्व नहीं होगा। इसी अनुरूप सिंचाई विभाग द्वारा एनटीपीसी को बिल दिये जाते रहे है तथा उनका भुगतान निरन्तर एनटीपीसी द्वारा किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा चाही गई एस.डी.एम. की तथ्यात्मक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्ष में छः से आठ माह तक नहर में पानी नहीं रहता था व.बन्द रहती थी फिर भी उस अवधि के पानी की वसूली पूर्णतया गलत है व निरस्त किये जाने योग्य है। एनटीपीसी ने वर्ष 1989 से स्टेज (419 मेगावाट क्षमता की स्थापना की जिसका डिजाइन 11 माह के नहर संचालन एवं एक माह की नहर बन्द की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया, डिजाइन के अनुसार एक माह तक प्लांट चलाने हेतु 10 लाख घन मीटर पानी की आवश्यकता के अनुसार पानी की स्टोरेज के लिए 10 लाख घन मीटर की क्षमता का जलाशय बनाया गया जिसमें अधिकतम 12.50 क्यूसेक फीट पानी ही भरा जा सकता है। इससे अधिक पानी रखने की क्षमता ही नही है। इस प्रकार विभाग द्वारा जो डिमाण्ड की गई है वो गलत है व निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा एम.ओ.एम. दिनांक 27.12.1988 का पालना करते हुये प्रतिवर्ष 11 माह का 2.50 क्यूसेक की दर से व 12वें महीने (नहर बन्द अवधि) का 12.50 क्यूसेक की दर से भुगतान किया जाता रहा है फिर भी विभाग द्वारा जो मांग की गई है वो गलत है व निरस्त किये जाने योग्य है। ऐग्रीमेन्ट दिनाक 18.10.2021 के पश्चात् से मीटर रीडिंग के आधार पर पानी का भुगतान किया जा रहा है जिसमें चार्ट को देखने से स्पष्ट है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा पूर्व में भी इससे अधिक पानी का उपयोग नहीं किया गया था फिर भी विभाग द्वारा बिना पानी सप्लाई किये गये पानी की वसूली की मांग की है जो पूर्णतः गलत है व निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 17.10.23 को निरस्त फरमाया जावे अन्य कोई आदेश जो कि प्रार्थी कम्पनी के हित में हो व माननीय न्यायालय की दृष्टि में उचित हो पारित फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अप्रार्थी ने विधिक दृष्टांत (2022) 3 AirKarR 132:(2022)AIR(SC) 2478:(2022) AIR (SC) Civil 1899: (2022) 4 KantLJ 314:(2022) 9 SCALE 64, (2016) 2 AirKarR 633:(2016)ILR(Karnataka) 2025:(2016) 4 KantLJ 43, 2024 INSC 623 की छायाप्रतियां पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का जवाब अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से लिखित इस आशय का पेश किया कि महालेखाकार जयपुर के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में लिया गया आक्षेप तथ्यो पर आधारित है। महालेखाकार राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के लिये गये आक्षेप के अनुसार दिये गये तथ्यों पर आधारित एन०टी०पी०सी० द्वारा किये गये भुगतान पर महालेखाकार द्वारा आक्षेप लिया कि विभाग को क्लोजर अवधि मे 12.5 क्यूसेक के अनुसार वाटर चार्जेज एन०टी०पी०सी० अन्ता से लेना चाहिए और उनकी गणना के अनुसार अप्रेल 2000 से अप्रैल 2003 तक कुल राशि 4,85,15,112/-रूपये व अवधि 6/04 से 3/10 तक राशि 1,52,71,127/- रूपये इस प्रकार कुल 6,37,86,239/-रूपये की वसूली एन०टी०पी०सी० अन्ता से चाही गई तथा अवधि 4/2010 से दिनांक 17.10.2021 तक की वसूली राशि 14,62,82,400/- रूपये [illegible] राशि 21,00,68,639/- रूपये एन०टी० पी०सी० से वसूलनीय है जिस बाब[illegible] करवाने हेतु लगातार पत्राचार किया गया लेकिन एन०टी०पी०सी० [illegible]ही जमा करने बाबत् नहीं की गई जिसके कारण [illegible] अप्रेल 2010 [illegible] दिनांक 17.10.2021 तक बकाया राशि 14,62,82,400/- रूपये की [illegible] अन्ता से वसूलनीय है पूर्व में राशि 6.37,86,239/- रूपये का प्रकरण माननीय जिला [illegible]क्टर महोदय, बारां के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे दिनांक 2.12.2022 को विभाग के पक्ष मे निर्णय पारित किया गया. पारित निर्णय के विरूद्ध एन०टी०पी०सी० अन्ता द्वारा माननीय न्यायालय आर०ए०ए० कोटा केम्प बारां में अपील संख्या 17/2023 दायर की गई, जो फेसले मे है। राज्य सरकार के द्वारा एन०टी०पी०सी० की स्थापना के समय यह निर्णय लिया था कि दायी मुख्य नहर एन०टी०पी०सी० को पानी उपलब्ध करायेगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:06 IST
Reason: SelfAttested

दायी मुख्य नहर की आर0डी0 270600 पर निर्मित इनटेक चेनल से एन०टी०पी०सी० अन्ता को पानी उपलब्ध कराया जाता है जो विद्युत ग्रह के संयन्त्रों को ठंडा करता हुआ ऑपन साईकिल मे आऊट फाल चेनल से होता हुआ वापस दायी मुख्य नहर की आर०डी० 2728996 पर मिल जाता है व पानी के अभाव मे कभी सयंत्र बन्द रहा हो उसकी सूचना सिंचाई विभाग को नहीं दी गई, सयंत्र संचालन के लिए पानी का अन्य कोई स्त्रोत एन०टी०पी०सी० अन्ता के पास मे नही है। दिनांक 27.12.1988 को राजस्थान सरकार व एन०टी०पी०सी० के मध्य एक बैठक रखी गई जिसके तहत् राज्य सरकार व एन०टी०पी०सी० के मध्य मिनिट्स ऑफ मिटिंग (MOM) के तहत् निर्णय लिया जाकर दिनांक 27.12.1988 में 25 वर्ष की अवधि के लिये MOM के तहत् शर्तों के अनुसार जल उपयोगिता का भुगतान करने का निर्णय लिया गया तथा आयोजित बैठक मे लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 27.12.1988 से नहर में 11 माह 2.5 क्यूसेक एवं 1 माह 12.5 क्यूसेक जल की आपूर्ति रहेगी नहरो की मरम्मत कार्य हेतु एक माह क्लोजर रहेगा। नहर संचालन के दौरान एन०टी०पी०सी० विद्युत ग्रह द्वारा 2.5 क्यूसेक पानी का उपयोग किया जाता रहता है दायी मुख्य नहर के द्वारा क्लोजर से पूर्व भरे गये जलाशयो से विद्युत संयत्र को पानी ऑपन साईकिल में उपयोग किया जाता है। इस दौरान पानी का खपत 2.5 क्यूसेक से 12.5 क्यूसेक होती थी पूर्व वर्षों में नहर 1 वर्ष में 11 माह अवधि तक चला करती थी लेकिन वर्षा के कम होने व चम्बल के जलाशयो मे पानी की कम आवक के कारण नहरी संचालन अवधि घटी फिर भी विभाग ने MOM की शर्तों अनुसार नहर बची अवधि में 12.5 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की जाती रही तथा 12.50 क्यूसेक प्रतिदिन के अनुसार एन०टी०पी०सी० अन्ता को पानी के बिल संघारित गेज रजिस्टर के अनुसार भुगतान के लिए भेजना प्रारम्भ कर दिया तथा एन०टी०पी०सी० की मांग अनुरूप पानी उपलब्ध कराने हेतु नहर में जल प्रवाहित किया गया एन०टी०पी०सी० द्वारा टेंक में पानी स्टोरेज करने के पश्चात् ग्राम बालाखेडा कॉस रेगुलेटर (दांयी मुख्य नहर) पर पानी को रोककर शेष रहे पानी को 15–30 दिन तक एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग मे लिया जाता रहा अतः छोडे गये पानी के बिल भी संघारित गेज के अनुसार ही जारी किये गये। पूर्व की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2010 मे महालेखाकार जयपुर द्वारा प्रकरण की पुनः ऑडिट की गई जिसमे उन्होने यह आक्षेप किया कि विभाग को क्लोजर अवधि में 125 क्यूसेक के अनुसार ही वाटर चार्जेज एन०टी०पी०सी० अन्ता से लेना चाहिए। दिनांक 01.08.1987 को राजस्थान सरकार की ओर से सी०ए०डी० दांयी मुख्य नहर सी०ए०डी० अन्ता के अधिकारी एवं नेशनल थर्मल पावर कॉपोरेशन के अधिकारियो के मध्य दायी मुख्य नहर के कि०मी० 82.50 से आद्योगिक परियोजना हेतु एक अनुबन्ध तैयार किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार एन०टी०पी०सी० दायी मुख्य नहर से कि०मी० 82.50 से 340 क्यूसेक पानी लेगा तथा जल उपयोग प्लान्ट का कूलिंग एवं उर्जा का अर्जन कर पुनः 320 क्यूसेक पानी नहर के 83.5 कि0मी0 के पास वापस डाल देगा इस प्रकार एन०टी०पी०सी० वर्ष के प्रत्येक माह में 20 क्यूसेक पानी का उपयोग करेगा यह उपयोग वर्ष में 10 माह तक करेगा तथा वर्ष के अंतिम माह नहरबन्दी के समय 360 क्यूसेक पानी लेकर 320 क्यूसेक पानी वापस नहर में डाल देगा इस प्रकार 40 क्यूसेक पानी का उपयोग 11 वे माह में करेगा जिसे उपभोक्ता नहरबन्दी के समय स्टोरेज टेंक मे सुरक्षित रखेगा इस प्रकार उपभोक्ता 1 वर्ष मे 20 x10 =200 + 40 =240 क्यूसेक पानी नहर से प्राप्त करेगा तथा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जलपूर्ति का बिल नहर खण्ड द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा जिसमे उपभोक्ता को 30 दिन में भुगतान करना होगा। अन्यथा बकाया पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। जलापूर्ति के सम्बन्ध मे सी०ए०डी० विभाग एवं एन०टी०पी०सी [illegible] दिनांक 27.12.1988 व दिनांक 23.09.1997 को मिटिंग का आयोजन किया गया जिसके प्रस्[illegible]निट्स ऑफ मिटिंग के रूप में लागू किया गया। जिसके बाद नवीन [illegible] को एन०टी०पी०सी व सिंचाई विभाग के मध्य निष्पादित हो चुका है [illegible] अनुसार राज[illegible] सरकार द्वारा जारी पानी की नई दरे 20 रूपये के स्थान पर 250 रूपये, 275 [illegible] रूपये 50 पैसे प्रतिघनफुट के अनुसार एन०टी०पी०सी० अन्ता को भी बिल [illegible] जा रहे है एवं उनके द्वारा वर्तमान में नई दरों के हिसाब से ही भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 1988 से MOM के अनुसार नहरबन्दी निर्धारित 1 माह से अधिक अवधि के लिए कार्यालय ने संधारित गेज रजिस्टर के अनुसार बन्द रही इसलिये बन्द अवधि मे भी जल की लगातार आपूर्ति स्टोरेज टेंक में जमा कर अतिरिक्त राजस्व जल का भुगतान उपभोक्ता को नियमित करना था जो नहीं किया गया इसलिए दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर

23.09.1997 के MOM के अनुसार नहरबन्दी की अवधि 1 माह से बढाकर 65 दिन होना तय किया गया था जिसके लिए दायी मुख्य नहर से 15.5 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देना तय किया गया और नहरबन्दी मे 65 दिन से अधिक अवधि तक खण्ड मे (संघारित गेज रजिस्टर) होने के कारण अतिरिक्त जलापूर्ति 15.5 क्यूसेक की दर से उपभोक्ता को भुगतान किया जाना था जो नहीं किया गया तथा पानी की आपूर्ति जलाशयो में मांग अनुसार की जाती रही है जिससे एन०टी०पी०सी० का संयत्र सुचारू रूप से प्रकियाधीन है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी सिंचाई खण्ड सी०ए०डी० अन्ता द्वारा पानी की सप्लाई का भुगतान MOM के अनुसार निर्धारित दरो के आधार पर व महालेखाकार जयपुर के द्वारा ऑडिट आक्षेप पर की गयी टिप्पणी के आधार पर अवधि दिनांक 4/2010 से दिनांक 17.10.2021 तक बकाया 14,62,82,400 रूपये व उस पर 18 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में एनटीपीसी को उपलब्ध कराये गये पानी का वास्तविक विवरण उपलब्ध नहीं करवाया है। एनटीपीसी को प्लांट चलाने हेतु 10 लाख घन मीटर पानी की आवश्यकता के अनुसार पानी की स्टोरेज के लिए 10 लाख घन मीटर की क्षमता का जलाशय बनाया गया जिसमें अधिकतम 12.50 क्यूसेक फीट पानी ही भरा जा सकता है। इससे अधिक पानी रखने की क्षमता ही नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, अन्ता से वांछित रिपोर्ट में उन्होने स्पष्टतः अवगत करवाया गया है कि सी.ए.डी. विभाग द्वारा कभी भी नहर का संचालन वर्ष में 11 माह तक नहीं किया जाना तथा वर्ष 1988 से आज तक प्रति वर्ष औसत नहर बन्द अवधि 1988 से 1998 में लगभग 5 माह प्रति वर्ष, 1998 से 2003 की अवधि में लगभग 8 माह प्रति वर्ष तथा 2003 से आज तक की अवधि में लगभग 6 माह प्रति वर्ष होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:06 IST
Reason: SelfAttested